प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.06.2026

मिशन शक्ति केन्द्र एवं पिंक बूथ की कार्यप्रणाली पर संवाद-समीक्षा गोष्ठी आयोजित

आज दिनांक 24.06.2026 को पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में पुलिस आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **मिशन शक्ति केन्द्र** एवं **पिंक बूथ** के संचालन, कार्यप्रणाली तथा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध, समस्त पिंक बूथ प्रभारी, मिशन शक्ति प्रभारी एवं परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा गोष्ठी के दौरान अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल **24 मिशन शक्ति केन्द्र** एवं **20 पिंक बूथ** संचालित हैं, जो महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, परामर्श, सहायता एवं जागरूकता संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन केन्द्रों एवं बूथों के माध्यम से **महिला उत्पीड़न**, **घरेलु हिंसा**, **साइबर अपराध**, **बालिका सुरक्षा** तथा विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं पिंक बूथों की कार्यप्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु चलाए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पिंक बूथों पर आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं के त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण पर विशेष बल दिया।

गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मिशन शक्ति केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता, परामर्श सेवाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में **जागरूकता कार्यक्रमों** का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस दिशा में सभी संबंधित इकाइयों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने होंगे।

उन्होंने महिला हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा जागरूकता, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने पर भी विशेष बल दिया।

गोष्ठी में मिशन शक्ति केन्द्र एवं पिंक बूथ के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा विभिन्न चुनौतियों एवं उनके समाधान पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार समर्पित भाव से कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

भविष्य की कार्ययोजना

आयोजित गोष्ठी के दौरान महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु **Women Volunteer Force (महिला स्वयंसेवी बल)** के गठन का निर्णय लिया गया।

Women Volunteer Force एक पूर्णतः स्वयंसेवी व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत समाज की जागरूक एवं इच्छुक महिलाएं मिशन शक्ति केन्द्र एवं पिंक बूथ की गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगी।इसका गठन प्रत्येक थाना स्तर पर किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, सहायता तथा सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों को जनसहभागिता के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाना है।

आगामी दिनों में ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालयों के पुनः खुलने के दृष्टिगत छात्राओं की सुरक्षा एवं महिला अपराधों की रोकथाम हेतु **एण्टी रोमियो स्क्वॉड** को अधिक सक्रिय किया जाएगा। विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास नियमित गश्त, सघन चेकिंग तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

गोष्ठी का समापन महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किया गया तथा सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **24.06.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 24.06.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**जोन**	**संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या**
1.	नगर	89
2.	ट्रांस हिण्डन	90
3.	ग्रामीण	103
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**282**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 06 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री जयकुमार थाना नन्दग्राम द्वारा की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 363/354 (क) भादवि व धारा 8 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त मनोज पुत्र धर्मवीर नि0 हरवंश नगर नई बस्ती थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 24.06.2026 को धारा- 363 भादवि में 06 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 8 पॉक्सो अधि0 में 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पोती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2021 को वादिया द्वारा थाना नन्दग्राम पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 ऊषा** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0आ0 पूनम राणा** पैरोकार थाना नन्दग्राम

श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के नेतृत्व में ग्रामीण जोन के होटल, सराय, कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी में सुरक्षा व्यवस्था तथा अग्निशामक उपकरणों की सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

आज दिनांक 24.06.2026 को पुलिस आयुक्त महोदय के कुशल निर्देशन के क्रम में, श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) के नेतृत्व में ग्रामीण जोन के समस्त थाना क्षेत्रों में एक विशेष सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना रहा।

अभियान के अंतर्गत ग्रामीण जोन के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित होटलों, सरायों, कोचिंग संस्थानों तथा छात्र-छात्राओं की उपस्थिति वाली विभिन्न लाइब्रेरियों (पुस्तकालयों) में सुरक्षा संसाधनों की बारीकी से जांच की गई। पुलिस टीमों द्वारा मौके पर जाकर उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता, आपातकालीन निकास द्वारों की स्थिति तथा विशेष रूप से अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) की उपलब्धता व उनकी वैधता तिथि की सघन चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान दिए गए मुख्य निर्देश:

1. **सुरक्षा मानकों का अनुपालन:** समस्त प्रतिष्ठान संचालकों को अपने परिसरों में अनिवार्य रूप से चालू हालत वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनका बैकअप सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।
2. **अग्नि सुरक्षा प्राथमिकता:** फायर फाइटिंग उपकरणों की नियमित रिफिलिंग सुनिश्चित करने तथा वहां मौजूद स्टाफ को उनके संचालन का प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया गया।
3. **सत्यापन प्रक्रिया:** होटलों एवं सरायों में ठहरने वाले आगंतुकों के पहचान पत्रों (ID Proofs) एवं एंट्री रजिस्टर का शत-प्रतिशत मिलान और सत्यापन करने की हिदायत दी गई।
4. **कार्यवाही का विवरण –** जिन संस्थानों/प्रतिष्ठानों के मानक पूर्ण नही पाये गये उनको नोटिस निर्गत कर संबंधित विभाग को कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई।

चेकिंग का थानावार विवरण-

क्र.स.	थाने का नाम	चेक किये गये संस्थानों/प्रतिष्ठानो की संख्या	कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को नोटिस/रिपोर्ट प्रेषित की जाने वाले संस्थानों/प्रतिष्ठानों की संख्या
1.	मसूरी	02	00
2.	मुरादनगर	25	04
3.	मोदीनगर	11	02 सील+03 नोटिस
4.	भोजपुर	निल	निल
5.	निवाड़ी	निल	निल
6.	लोनी	03	03
7.	ट्रोनिका सिटी	02	00
8.	अंकुर विहार	02	00
9.	लोनी बॉर्डर	16	00
	कुल	**56**	**12**

➢ **विकास प्राधिकरण व थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा थाना मोदीनगर क्षेत्र में 02 कोचिंग संस्थानों को मानकों के अनुरूप संचालित होना नहीं पाया गया जिस कारण उक्त 02 कोचिंग संस्थानों को नियमानुसार सील किया।**

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 23.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का बैग चोरी कर ले जाना जिसमें (एक मोबाइल फोन सैमसंग व स्मार्ट वॉच एप्पल) थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट, सर्विलांस के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. मोहित पुत्र चंगीलाल निवासी इन्द्रापुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2. परवीन पुत्र सतपाल निवासी नवाब विहार इन्द्रापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 3. विक्टर पुत्र अलवट निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबद उम्र करीब 43 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वॉच व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 20/06/2026 को हम लोग ई-रिक्शा से गाजियाबाद से मोदीनगर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक स्कूटी फ्लिपकार्ट हब के सामने खडी थी, उस स्कूटी पर एक बैग रखा था। हमने मौका पाकर बैग को चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.मोहित पुत्र चंगीलाल निवासी इन्द्रापुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

2. परवीन पुत्र सतपाल निवासी नवाब विहार इन्द्रापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

3. विक्टर पुत्र अलवट निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबद उम्र करीब 43 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वॉच व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 23.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा **“ऑपरेशन प्रहार”** के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त सन्नी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम धनौरा थाना धनौरा जनपद बागपत हाल पता राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह तमंचा मैंन लोगों में अपना रौब जमाने तथा डराने धमकाने के उद्देश्य से रखता हूँ। आज मैं इस अवैध तमंचे के साथ बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सन्नी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम धनौरा थाना धनौरा जनपद बागपत हाल पता राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर लूट के 03 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-04)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 23.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. अमन उर्फ अरमान पुत्र बबलू निवासी जीवन गेट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. अमन पुत्र शहजाद अली निवासी अमन चौक जीवन गेट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल हमने करीब 02 माह पहले दिल्ली से चोरी की थी जिसे हमने अभी तक छिपा रखा था। हम इस चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अमन उर्फ अरमान पुत्र बबलू निवासी जीवन गेट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2.अमन पुत्र शहजाद अली निवासी अमन चौक जीवन गेट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त अमन उर्फ अरमान पुत्र बबलू उपरोक्त के विरूद्ध वाहन चोरी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 05 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग, थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

(कुल अभियोग -09) । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम- थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 49000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक **24.06.2026** को साइबर सेल थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक लवकुश निवासी-नेहरुनगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 49000/- रु0 धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक लवकुश के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि उसके बैंक खाते से पेटीएम के द्वारा बिना किसी जानकारी के ऑनलाइन ठगी की थी जिस पर साइबर सेल थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक **24.06.2026** को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 49000/- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद द्वारा वापस करायी गयी। आवेदक द्वारा थाना सिहानी गेट आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-</u>

साइबर सेल टीम, थाना सिहानी गेट।